जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला–डीडवाना कुचामन)

तकनीकी–वाणिज्यिक बोली प्रपत्र (Technical-Commercial BID FORM)

तकनीकी बिड

(तकनीकी लिफाफे मे डालनी है)

1. निविदा सन्दर्भ :– खुली बोली आंमंत्रण सूचना 01/2025–26
2. निविदा की विषय वस्तु :– फर्नीचर एव ए.सी. क्रय हेतु।
3. फर्म का नाम.....
4. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम.....
5. पूरा पता (जिसके आधार पर पत्र व्यवहार किया जा सके) :–

.....

.....

6. मोबाईल नंम्बरई. मेल

क.स.	शुल्क विवरण	शुल्क राशि व भुगतान का प्रकार
01	निविदा प्रपत्र शुल्क,	डी.डी. क्रमांक.....दिनांक.....रूपये.....बैक का नाम..... निविदा प्रपत्र शुल्क 200 रू(जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डीडवाना के नाम देय)
02	अमानत राशीडी.डी.	डी.डी. क्रमांक.....दिनांक.....रूपये.....बैक का नाम..... अमानत राशी के रूप मे 2% (निविदा राशी का) डीडी (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डीडवाना के नाम देय)

बोलीदाता द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जायेगा

क.स.	तकनीकी योगयताऐ	वांछित प्रपत्र	सलग्न हा/नही	सलग्नक पृष्ठ सं.
01	बोली की शर्ते	बोली प्रपत्र मे वर्णित समस्त शर्ते स्वीकार करने स्वरूप हस्ताक्षरित कर सलग्न कर दिया है।		
02	बोलीदाता के पास जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन होना चाहिये	01 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्वम सत्यापित छायाप्रति		
03	बोलीदाता के पास आयकर पैन नम्बर होना आवश्यक है।	पैन कार्ड का स्वम प्रमाणित छायाप्रति		
04	सूक्ष्म,लघु एव मध्यम उद्यम प्रमाण पत्र	सलग्न प्रमाण पत्र		
05	बोलीदाता के घोषणा पत्र	प्रपत्र एस.आर. –11 हस्ताक्षर कर सलग्न है।		
06	बैंक खाता विवरण	प्रमाणित बैक खाता पासबुक		
07	अनुभव	न्यूनतम कार्यालय आदेश 100000 रू के (05 कार्यालय के आदेश सलग्न करे)		
08	Average Annual Turnover	बोलीदाता द्वारा गत 3 वित्तीय वर्ष (2022–23,2023–24 एवं 2024–2025) न्यूनतम 05 लाख का सनदी लेखाकार से प्रमाणित		
09	बोलीदाता किसी बोर्ड, निगम, प्राधिकरण एव राजकिय विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉलटर नही होना चाहिये।	राशि रूपये 50/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर घोषणा पत्रसलग्न करे।		
10	ISO 9001:2015 (Quelity Menagement System)			
11	ISO 14001:2015 (Environment Menagement System)			
12	ISO 14001:2018 (Occupationl Health and Sefety Menagement System)			
13	Bifms Certificate			
14	Green Guard Certificate			
15	Annexuer ABCD of Transparency in public procurement Act			

01. निविदा सामान आपूर्ति कार्य हेतु दरे प्राईस शिडयुल मे दरे अंकित कर प्रस्तुत कर दी गयी है।
02. तकनीकी योग्यता से सम्बंधित समस्त प्रमाण पत्र बोली प्रपत्र शर्तो सहित मय हस्ताक्षरित सलग्न है।
03. विभाग द्वारा बोली से संबधित किसी भी प्रकार की सूचना इ–मेल और मोबाईल पर मैसेज पर दी जायेगी,जिस पर कार्यवाही करने के लिए सहमत है।
04. अनुमोदित प्रदायकर्ता द्वारा माल की सुपूर्दगी क्रय आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर एफ.ओ.आर. संबन्धित नवसृजित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डीडवाना पर पूर्ण की जाएगी। सामग्री की तुरंत आवश्यकता है, अतः वे ही बोलीदाता बोली प्रस्तुत करे जिनके पास रॉ मेटेरियल,लेबर,मशीनरी तथा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है तथा निर्धारित सुपुर्दगी अवधि में आपूर्ति पूर्ण कर दी जायेगी।
05. मै/हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामान द्वारा जारी की गयी निविदा मे वर्णित समस्त शर्तो से तथा सलग्न मे दी गयी उक्त बोली सूचना के अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करता हूँ/करते है। इनके समस्त पृष्ठो पर उनमे उल्लेखित शर्तो को मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रामाण मे मैने/हमने हस्ताक्षर कर दिये है।

दिनांकः–

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय नाम पता

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डीडवाना

General terms & conditions of Bid & Contract

Instructions:- The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public Precurement Act,2012" (hereinafter called the Act) and "The Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013" (hereinafter called the Rules) under the said Act have coome into force which are available on the website of State Public Procuremet Portal http://sppp.raj.nic.in. Therefore, the bidder are advised to acquaint themselves wit the provisions of the Act ad the Rules before particiapting in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and the Rules and this bidding document, the provision of the Act and the Rules shall prevail.

1. निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहियें तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहियें। अगर निविदादाता को निविदा के शर्तों या विशिष्टताओं, जो निविदा में दियें गये है, के बारे में किसी प्रकार का निर्वचन (Interpretaion) /आशय के संबंध में कोई संदेह हो, तो निविदा भरने से पूर्व संस्था प्रभारी को प्रस्तुत कर (Clarification) प्राप्त कर लेना चाहिये तथा संस्था प्रभारी का निर्णय अंतिम होगा तथा निविदादाता जिसे स्वीकार करने के लिये बाध्य रहेगा।
2. बिड, सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बंद कर पूर्ण रूप से भरी गई बिड के साथ निर्धारित प्रतिभूति राशि डी.डी/बैंकर्स चैक एवं आवश्यक प्रपत्र संलग्न कर उसे क्रय समिति,जिला एवं सेशन न्यायाधीश,डीडवाना के पते पर बोली सूचना में अंकित दिनांक तक जमा करा सकेंगे। निर्धारित समय के बाद एवं बिना निर्धारित प्रतिभूति राशि/डी.डी./बैंकर चैक के प्राप्त बिडों पर विचार नहीं किया जाएगा एवं वह स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
3. बोली दो लिफाफा पद्धति से आमंत्रित की गई है। बोलीदाता द्वारा तकनीकी–वाणिज्यिक बोली एवं वित्तीय बोली पृथक पृथक लिफाफें में प्रस्तुत करनी होगी। बोली दस्तावेज जो तकनीकी बोली के साथ संलग्न किये जाने है, उन्हे तकनीकी बोली प्रपत्र के साथ तकनीकी लिफाफा–अ में सील बन्द किया जायेगा। वित्तीय बोली प्रपत्र, जिसमें दरे अंकित कि जावेगी, को वित्तीय लिफाफा–ब में सी बन्द किया जायेगा। तकनीकी बएवं वित्तीय बोली लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में रख कर सील बंद किया जायेगा। तीनों लिफाफों पर कार्य का नाम, कार्यालय का नाम जिसके लिए बोली प्रस्तुत की गई है एवं बिड सूचना संख्या अंकित कि जावे। वित्तीय लिफाफ मे वित्तीय निविदा ही रखी जावे। अन्य कोई प्रपत्र नहीं रख जावे।
4. तकनीकी प्रस्ताव वाले लिफाफे में भरा हुआ तकनीकी बिड प्रपत्र एवं समस्त दस्तावेज जो मांगे जा रहे है, रखे जायेंगे। बिडदाता को वित्तीय प्रस्ताव अलग लिफाफे में प्रस्तुत करने होंगे। यदि किसी बिडदाता द्वारा तकनीकी प्रस्ताव के साथ वित्तीय प्रस्ताव एक लिफाफें में दिया जाता है तो उसकी बिड निरस्त कर दी जावेगी।
5. प्राप्त बिडों की बोली में अंकित दिनांक को उपस्थित बिडदाता अथवा उसके प्रतिनिधी के समक्ष विभाग की उपापन समिति द्वारा खोला जायेगा। निर्धारित समय में कोई बिडदाता अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित नही होने पर विभाग की गठित उपापन समिति द्वारा बिना उसका इन्तजार किए निर्धारित समय पर अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, डीडवाना में कक्ष में खोली जायेगी। यदि उक्त दिनांक को राजकीय अवकाश रहता है तो आगामी कार्य दिवस को बिड खोली जायेगी।
 (अ) सर्वप्रथम भरी हुई तकनीकी बिड खोली जायेगी।
 (ब) तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त बिडदाता की ही वित्तीय बिड पर विचार किया जायेगा। सिर्फ तकनीकी बिड में सफल बिडदाता ही आगे कार्यवाही में भाग लेने के योग्य होंगे। वित्तीय बिड खोले जाने के संबंध में सफल बिडदाता को दूरभाष पर या पृथक से पत्र द्वारा सूचित कर दिया जायेगा।
6. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे।
7. वस्तु एवं सेवा कर पंजीयन :– कोई भी बिडदाता यदि उस राज्य में प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नही है तो वह बिड नहीं देगा। इस संबंध में पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा इसके अभाव में बिड को रद्द कर दिया जायेगा।
8. बिड प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा पेन्सिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नही किया जायेगा। बिडदाता बिड के निविदा के प्रत्यके पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर मय मोहर अंकित करेगा।
9. आवेदित फर्म वित्त विभाग राज. की अधिसूचना संख्या प. 1(8)वित्त/सावितेनि/2011 दिनांक 19.11.2015 के तहत सूक्षम, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 7 की उप–धारा (1) के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में फर्नीचर की निर्माता के रूप मे पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति तकनीकी बिड लिफाफे में प्रस्तुत की जायेगी। वित्त विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या प.1(8) वित्त/ सावितेनि/2011 दिनांक 19.10.2015 के अनुसार उपरोक्त उद्योग को Annexure"G" के अनुरूप संबंधित जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं Annexure"H" के अनुरूप निर्धारित शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर, बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति एवं बोली कार्य संपादन प्रतिभूति राशि में नियमानुसार छूट दी जा सकेगी। निर्धारित बोली प्रपत्रशुल्क एवं बोली प्रतिभूति एवं बोली कार्य संपादन प्रतिभूति राशि के अभाव में निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
10. दरें (Rates) :–
 1) शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी। इसमें कोई त्रुटियों एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में सभी प्रकार के करों को पृथक से दिखाना चाहिए।
 2) बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावे।
 3) बोली दरें खुलने के पश्चात् यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

4) बोलीदाता द्वारा बोली आमंत्रण में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी। बोली आमंत्रण में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नहीं होगी। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।

5) बोली में निर्धारित स्पेसिफिकेशन के लिए एक ही दर प्रस्तुत की जावेग। एक से अधिक दर देने पर निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अतिरिक्त अन्य स्पेसिफिकेशन के लिए दी गई दरों पर विचार नहीं किया जावेगा।

11. वित्तीय बोलीयों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार (Correction of arithmetic errors in financial bids) :– बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

1) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

2) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा ; और

3) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई सिंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

12. निर्धारित बिड प्रारूप के अतिरिक्त अन्य प्रारूप में दी गई बिड पर विचार नहीं किया जायेगा। कार्यालय द्वारा ऐसी किसी भी बिड को प्राप्त नही करेगा, जो बिड प्रस्तुतीकरण के लिए नियत दिनांक और समय के पश्चात् व्यक्तिशः प्रस्तुत की गई हों। फैक्स द्वारा भेजी गई निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। कोई भी बिड, जो बिड के प्रस्तुतीकरण के लिए अंतिम समय सीमा के पश्चात् कोरियर/डाक द्वारा पहुंची हो, को विलंब से प्राप्त के रूप में चिह्नित और घोषित किया जा कर, बिना खोले ही रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा बिडदाता को लौटा दी जायेगी।

13. बिडदाता अपनी बिड या उसके किसी सारभूत भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और नहीं किसी को आगे सब लेट कर सकेंगा।

14. बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि (Period of validity of Bids) :–

1) बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी। किन्तु उपापन की प्रकृति के आधार पर यह अधिक भी हो सकती है। लघुत्तर कालावधि के लिए विधिमान्य कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी के रूप में उपापन संस्था द्वारा अस्वीकार की जायेगी।

2) बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि के अवसान के पूर्व, उपापन संस्था आपवादिक परिस्थितियों में, बोली लगाने वालों से अतिरिक्त विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए बोली की विधिमान्यता की कालावधि का विस्तार करने के लिए अनुरोध कर सकेगी। बोली लगाने वाला अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है और ऐसी अस्वीकृत बोली प्रत्याहरण के रूप में मानी जायेगी किन्तु ऐसी परिस्थितियों में बोली प्रतिभूति समपहृत नही की जायेगी।

3) ऐसे बोली लगाने वाले जो उनकी बोली की विधिमान्यता की कालावधि के विस्तार से सहमत होते है, उनके द्वारा प्रस्तुत बोली प्रतिभूतियों की विधिमान्यता की कालावधि का विस्तार करेंगे या विस्तार करायेंगे या उनकी बोली की विधिमान्यता का विस्तारित कालावधिक को आवृत करने के लिए नयी बोली प्रतिभूतियां (Bid Securities) प्रस्तुत करेंगे। कोई बोली लगाने वाला जिसकी बोली प्रतिभूति विस्तारित नहीं की जाती है या जिसने नयी बोली प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं की है, इसे उसकी बोली की विधिमान्यता की कालावधि के विस्तार के लिए अनुरोध को अस्वीकार किया जाना माना जायेगा।

15. बोलियों का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन ओर उपान्तरण (withdrawal, Substitution and modificaiotns of Bids) :–

1) बोली लगाने वाला बोली प्रस्तुत करने के पश्चात् उसके या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा (प्राधिकरण पत्र संलग्न हो) सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित नोटिस भेज कर उसकी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण कर सकेगा। बोली के तत्संबंधी प्रतिस्थापन या उपान्तरण के साथ लिखित नोटिस होना चाहिये। नोटिस –

a) बोली दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तुत किया जाये और इसके अतिरिक्त लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "प्रत्याहरण", या "उपान्तरण" अंकित हो; और

b) बोलियों को प्रापत करने के लिए नियत अंतिम समय और तारीख से पहले बोलियों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाये या सीधे ही बोली के बक्से में डाल दिया जाये।

2) बोलियां, जिनके प्रत्याहरण का अनुरोध किया गया है, बोली लगाने वालों को बिना खोले लौटा दी जायेगी।

3) किसी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण बोलियों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम समय और तारीख के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

16. मूल्यांकन की कसौटी :– तकनीकी–वाणिज्यिक बोली में सफल/क्वालिफाइड बोलीदाता/संवेदक की आईटमवाईज न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली का मूल्यांकन किया जावेगा।

17. मूल्यांकन में कीमत/क्रय अधिमान :– बोलियों के मूल्यांकन और संविदा के अधिनिर्णय में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित और बोली दस्तावेजों में यथा–वर्णित कीमत और/या क्रय अधिमान पर विचार किया जावेगा।

18. अनुमोदित प्रदायकर्त्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तों विनिर्देशों, आकार मेंक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों विनिर्देशों, रेखाचित्र आदि के किसी भाग के आशय के बारें में कोई संदेह हो, तो वह संविदार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

19. दरे गन्तव्य स्थान डीडवाना न्यायालय के लिए एफ.ओ.आर उद्धत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुशांगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु किसी भी प्रकार के करों को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया

जाना चाहिए। किसी भी गाड़ी भाड़े (कार्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी निर्धारित स्थान पर दी जाएगी।

20. स्पेसिफिकेशन (Specification) :-

1) बोलीदाता द्वारा अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही बोली प्रस्तुत की जावेगी। प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुएं बोली एवं शर्तों से संबंधित निर्धारित स्पेसिफिकेशन के पूर्णतया अनुरूप होगी। जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई. स्पेसिफिकेशन के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, उन मदों को पूर्णरूप से उन स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए।

2) यदि प्रदाय की जावे वाली वस्तुएं निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती है, तो अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही देना होगा।

3) यदि बोलीदाता किसी अनुमोदित आईटम को सप्लाई करने में किसी भी कारण से असमर्थ है तो उसके समकक्ष या अन्य मेक का आईटम उपापन समिति के अनुमोदन के पश्चात् बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। यदि बोलीदाता अनुमोदित सामग्री प्रदाय नहीं करती है तो उपापन समिति स्थानीय बाजार से उक्त या उसके समकक्ष बाजार में उपलब्ध अन्य मेक की सामग्री क्रय करने के लिए स्वतंत्र होगी एवं अन्तर राशि बोलीदाता की प्रतिभूति राशि अथवा बिल से समायोजित की जावेगी।

4) अस्वीकृत किया गया माल बोलीदाता द्वारा अस्वीकृति की सूचना के 15 दिन के अन्दर विभागीय परिसर से वापिस ले जाना होगा। 15 दिवस के पश्चात् विभागीय परिसर से माल नहीं ले जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित भण्डारण व्यय बोलीदाता से वसूला जावेगा। माल अस्वीकृत होने की सूचना के 30 दिवस पश्चात् बोलीदाता द्वारा विभागीय परिसर से माल नही ले जाने पर विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत माल के संबंध में यथोचित सुरक्षा रखी जावेगी, लेकिन विभगीय परिसर में ऐसे अस्वीकृत माल की क्षति, कमी, घाटा, नाश, टूट, फूट, हानि होने पर विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।

5) वारंटी एवं गांरटी का खंड :– निविदादाता यह गारन्टी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उस माल/स्टोर्स/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से बोली में अंकित अवधि के लिए यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नही पाया गया या वे समाप्त हो गये है (तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम परिणामी होगा), तो क्रेता उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नही पाये जाएंगे, रद्ध करने के लिए अधिकृत होगा। ऐसे रद्ध किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्ध करने से संबंधधित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके उस भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्ध कर दिय गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकुल प्रभाव नही डालेगी।

21. निरीक्षण एवं परीक्षण :–

1) उपापन समिति या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रदायकर्ता के परिसर में कार्य आदेश के तहत् तैयार की जा रही सामग्री का किसी भी समय पर निरीक्षण कर सकता है।

2) बिडदाता अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम एवं वर्कशॉप का पूर्ण पता अंकित करेगा जहां उससे व्यक्तिगत/डाक द्वारा सम्पर्क किया जा सके, यदि कार्यस्थल पर वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है तो उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम जो पूर्ण पता सूचित करेगा, कार्यास्थल पर उपस्थित रहेगा तथा जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क किया जा सके।

3) सप्लाई प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित् करने के लिए निरीक्षण व जांच की जा सकेगी कि वे निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप है या नहीं। जहाँ आवश्यक हो, प्रावधित किया गया हो या व्यवहारिक हो, वहाँ परीक्षण ससरकारी प्रयोगशालाओं/प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों में करवाया जा सकेगा तथा परीक्षण पर यदि समान विहित स्पेसिफिकेशन के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा तो उन्हे स्वीकार किया जाएगा।

4) परीक्षण प्रभार :– बोलीदाता से समान प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जिस सामान का परीक्षण कररावा जायेगा उसके परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेगे। यदि बोलीदाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण करना चाहता हो या यदि परीक्षण परणिामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया समान विहित स्तर या स्पेसिफिकेशन के अनुसार नही है तो, परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जावेंगे। की जा सकेगी बोलीदाता द्वारा अंकित स्पेसिकेशन के अनुसार ही बोली प्रस्तुत की जावेगी। प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुए बोली एवं शर्तों से संबंधित निर्धारित स्पेसिफिकेशन के पूर्णतया अनुरूप होगी। जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई स्पेसिफिकेशन के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, उन मदों को पूर्णरूप से उन स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए।

22. माल की सप्लाई एवं सुपूर्दगी अवधि (Delivery of Goods and Period) :–

1) बोलीदाता बिड में माल सप्लाई के लिए निर्धारित स्थान पर माल की सही दशा में सप्लाई करने के लिए उत्तरदायी होगा तथा परिवहन की सामान्य स्थिति में माल में किसी प्रकार की क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल की सुपूर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त सामग्रियों की जांच, निरीक्षण किये जोन पर माल में पाई गई किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव या किसी कमी के होने के मामले में हुई हानि एवं कमी की पूर्ति के लिए बोलीदाता उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नही की जाएगी।

2) माल सप्लाई के लिए निर्धारित स्थान पर सही दशा में सुपुर्द किया जायेगा। यदि सप्लायर चाहे तो वह किसी भी प्रकार की हानि से बचने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता क्षरा ही वहन किया जाएगा तथा कार्यालय से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। परिवहन के दौरान माल की किसी भी प्रकार की हानि के लिए यह कार्यालय उत्तरदायी नही होगा

तथा न ही बोलीदाता द्वारा किसी भी प्रकार के नुकसान का भुगतान करने की अपेक्षा नही की जाएगी।

3) बोलीदाता द्वारा समस्त माल रेल्वे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिये भाड़ा एवं अन्य प्रभार आदि चुका कर कार्य आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर गन्तव्य स्थल (FOR) अधीनस्थ न्यायालय पर शहर पर सप्लाई किया जायेगा। अगर कार्यालय द्वारा भाड़ा एवं अन्य प्रभार आदि का भुगतान किया जाता है तो उसकी वसूली प्रदायकर्ता के बिल से की जायेगी।

4) यदि बोलीदाता द्वारा माल की सप्लाई निर्धारित मानदण्ड एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय संविदा को निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए संविदा को निराकृत (Repudiate) कर सकते है।

23. भुगतान (Payments) :–

1) बोली में सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नहीं होगी अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नही दी जावें। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो सशर्त बोली मानकर बोली निरस्त कर दी जावेगी।

2) सप्लाई के समय माल प्राप्त होने पर निरीक्षण उपरान्त् माल विभागीय स्पेसिफिकेशन के अनुसार पाये जाने पर भुगतान कर दिया जावेगा। अतः बोली में दर अंकित करते समय माल की सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नही की जावे। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो सशर्त बोल मानकर बोली निरस्त की जा सकेगी।

3) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में जी.एस.टी.बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश निर्देश के तहत् वैधानिक कटौतियां कर भुगतान किा जावेगा।

4) विवादास्पद मदों के संबंध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा।

5) उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिए जाएंगें तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होंगे।

6) परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूटफूट, रद्ध की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल से की जाएगी। कम सप्लाई, टूटफूट, रद्ध किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नही बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय स्पुनपकंमक उंउंमेद्ध के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

24. सुपुर्दगी अवधि एवं परिनिर्धारित क्षय (Delivery Period and Liquidated damages) :–

1) जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी वह बोली आमंत्रण में अंकित सप्लाई अवधि में समस्त माल की सप्लाई निर्धारित गन्तव्य स्थान पर पूर्ण करेगा। सप्लाई अवधि, विभाग द्वारा जारी सप्लाई आदेश की दिनांक से शुरू होगी।

2) परिनिर्धारित क्षति, स्पुनपकंजमक कंउंमेद्ध के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है :–

a) विहित सुपूर्दगी अवधि के लिए एक चौथाई (1/4) अवधि तक के विलंब के लिए :– 2.50:

b) विहित सुपूर्दगी अवधि की एक चौथाई (1/4) अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि (1/2) से अनधिक के लिए :– 5.00 :

c) विहित सुपूर्दगी अवधि की आधी अवधि (1/2) से अधिक किन्तु विहित अवधि की तीन चौथाई (3/4) से अनिधक के लिए :– 7.50 :

d) विहित सुपूर्दगी अवधि की आधी अवधि (1/2) से अधिक किन्तु विहित अवधि की तीन चौथाई (3/4) से अनिधक के लिए :– 7.50 :

e) विहित सुपूर्दगी अवधि की तीन चौथाई (3/4) अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए :– 10.00 :

f) विलंब की अवधि मे आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा।

g) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

3) यदि बोलीदाता किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए चाहता है, तो वह लिखित में उस प्रधिकारी को आवेदन करेगा जिसने वह प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय दिया जायेगा न कि सप्लाई को पूर्ण हाने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जायेगा।

4) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपूर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

25. बोली प्रतिभूति (Bid Security) -

1) बोली प्रतिभूति राशि बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी। उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदाता से बोली आमंत्रित सूचना में किया जायेगा। राजस्थान के लघु उद्योगां की दशा में यह प्रदाय के लिए प्रदत्त मात्रा का नियमानुसार 0.5 प्रतिशत होगी।

2) बोली प्रतिभूति राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डीडवाना के नाम पर बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करायी जावेगी।

3) असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने की शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।

4) सफल बोलीदाता की बोली प्रतीिूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोलीदाता वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

5) बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढ़ायी गयी विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिए।

6) बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security) निम्नलिखित मामलों में किया जा सकेगा :–

a) जब बोलीदाता बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत (withdraws) या उपान्तरित (Modifies) करता है।

b) जब बोलीदाता प्रदाय/संकर्म आदेश (supply/work order) देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नही करता है।

c) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश (Supply/work order) के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है।

d) जब बोलीदाता प्रदाय/संकर्म आदेश (Supply/work) दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) जमा नही कराता है।

e) यदि बोलीदाता राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 और राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

26. कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Peformance Security) :–

1) सफल बोलीदाता से कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत होगी। संकर्मों के उपापन के मामले में संकर्म आदेश की रकम की दस प्रतिशत होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में ाबेली प्रदाय के लिए आदिश्ट परिमाण की रकम की एक प्रतिशत होगी।

2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति किसी अनुसूचित बैंक का बैंकर चैक या बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार की जायेगी।

3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

4) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज नहीं दिया ायेगा।

5) कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारंटी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

6) सफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समयोजित की जा सकी है या लौटायी जा सकती हे यदि सफल बोलीदाता वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

7) कार्य संपादन प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से समपहरण (Forfeiture of Peformance Secutiy) निम्नलिखित मामलों में किया जा सकेगा :–

a) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

b) जब बोलीदाता सम्पूर्ण प्रदाय/सेवा संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

c) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि मे ंसवेा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो।

d) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

Note:-As per FD order No f.2(1)/FD/G&T-SPFC/2017 DATED 18-12-2020 PERFORMANCE SECURITY 2.5% OR AS MAY BE SPECIFIED IN THE BIDDING DOCUMENT OF THE AMOUNT OF SUPPLY ORDER IN CASE OF PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES AND 3% OF THE AMOUNT OF WORK ORDER IN CASE OF PROCUREMENT OF WORKS AND 0.5% OF THE AMOUNT OF QUANTITY ORDERED FOR SUPPLY OF GOODS IN CASE OF SMALL SCALE INDUSTRIES OF RAJASTHAN UPTO 31-3-2021

27. करार का निष्पादन (Execution of agreement) :–

1) कोई उपापन संविदा, ऐसी तारीख से प्रवृत होगी, जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित् किया जाता है।

2) सफल बोलीदाता को प्रदाय आदेश की रकम के 0.25 प्रतिशत (न्यूनतम रू. 500 तथा अधिकतम रू 15000) के बराबर राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर प्रारूप 17 में एक करार पत्र स्वयं के व्यय पर निष्पादन करना होगा।

3) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करनें में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध अधिनियम या इन नियिमें के उपबंधो के अनुसार कार्रवाई करेगी।उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रकिया प्रकियाओं के अनुसार, न्युनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

28. <u>परिणाम में परिवर्तन का अधिकार (Right to vary quantity)</u>

1) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजो में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय , किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

2) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोलीदस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदामें दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सेकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होन की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी–

a) संकर्मे की दशा में व्यष्टिक मदो की मात्रा 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत।

b) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।

29. अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन (Dividing quantities among more than one bidder at the time of award) :- सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाले उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्ररदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी है या जब यह समझाा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच उस बोली लगाने वाले की दरों पर जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचनें के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचित के समान होगा। तथापि , परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

30. बोली लगाने वाले के द्वारा सतयनिष्ठा संहिता का भंग (Breach of code integrity by the bidder) :- अधिनियिम के अध्याय 4 के उपबंधो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या यथास्थिति,भवी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप–धारा (3) और धारा 46 के उपबन्धों के अनुसार समुचित कार्रवाई कर सकेगी।

31. यदि बिडदाता ऐसी शर्त आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके रिोध में है, तो उसक बिड को संक्षितप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नही समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकरी द्वारा जारी किए गए बिड स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किय गया हो।

32. उपापन समिति किसी भी बिड को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बिड नही है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्ध करने या जिन वस्तुओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को विरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

33. किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार– उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायीत्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

34. बिडदाता को करार के निष्पादन के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–

1) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnersheep Deed) की एक स्वहताक्षरित प्रमाणित प्रति।

2) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष

3) एक मात्र स्वामित्व में मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नंबर

4) कम्पनी के मामलें में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र कमउपापन संविदा, ऐसी तारीख से प्रवृत होगी, जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित् किया जाता है।

35. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation), आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवदा के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप–अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप–अधिकारी इस संविदा से संबद्ध नही होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

36. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या निविदादाता) द्वारा डीडवाना स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी।

अध्यक्ष क्रय समिति
अपर जिला एवं सेशन न्यायालय,
डीडवाना।

प्रमाणित किया जाता है कि बोली प्रपत्र तथा प्रपत्र के संलग्न सभी शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ कर समझ लिया गया है तथा इनके सभी पृष्ठों पर स्वीकाार किये जाने के प्रमाण में हस्ताक्षर कर दिये गये है।

दिनांक :–

बोलीदाता के हस्ताक्षर मयस्थान :–

50 रूपये के नॉन ज्यूडिशीयल स्टांप पर

निविदादाता द्वारा घोषणा

1. मैं/हम घोषणा करते है कि मेरे/हमारे द्वारा
.....(जिन सेवाओं हेतु दर संविदा प्रस्तुत की जा रही है) हेतु दर संविदा में दी गई सूचना सत्य है। यदि असत्य पाई जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्णरूप से समापहर्त कर लिया जावे तथा निविदा को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया, रद्द कर दिया जावें।

2. प्रमाणित किया जाता है कि हमारी फर्म किसी बोर्ड,निगम,प्राधिकरण एवं राजकीय विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

S.R. 11

50 रूपये के नॉन ज्यूडिशीयल स्टांप पर

–: निविदादाताओं द्वारा धोषणा :–

मैं/हम..... घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि मैने / हमने जिन मालों/स्टोर्स/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका /उनके /मैं / हम बनोफाईड विनिर्माता/ थोकविक्रेता/ सील वितरक प्राधिकृत डीलर/ डीलर/होल सैलिंग/ विपणन ऐजेण्ट हूँ/ है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेंरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जायेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है रद्द कर दिया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

OFFICE OF THE DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY

DIDWANA, DISTRICT DEEDWANA-KUCHAMAN

(B) TECHNICAL SPECIFICATION OF THE FURNITURE

SL. No.	Name of Item	Specification	Compliance YES/NO (To be filled by bidder)
1	Officer Table with side Table and Table Top Glass (Chamber)	1-Table Size:- L6' x D4 ' xH 2½' FT and Side Table size:- L3' x D1½' x H 2½ ' FT. 2-Table and Side Table work top should be made of 25mm, all side panels should be covered with 18mm ISI marked M.R. Grade Ply Wood, and pasting with 1mm ISI marked approved Mica Shade. 3-For Main Table :- 10MM thickness Table Top Glass with flat polished edge with regular corner, desired color. 4-For Table:- One side fixed standard equal size three filing drawers and other side fixed filing storage unit divide in equal with one shelf with complete single door fiting. 5-For Side table:- One filing storage unit divide in equal with one shelf with complete two shutter door fiting. 6-All the edges are sealed duly surrounded by teak wood moulded edge bending duly polished same color. 7--All the reverse side should be finish with primer and wooden color enamel. 8. All drawers and Door of storage unit will be provided with smooth Locking Arrarngement and all handel shall be made of Stainless Steel. 9-Provision for Foot Rest. The base of legs fitted with plastic bush.	
2	Executive High Back Officer Chair.(Chamber)	Seat & Back Assembly:- The seat is made up of 15mm thick hot pressed plywood upholstered with rich leatherette and moulded Polyurethane Foam. The back foam is designed with contoured lumber support for extra comfort Back size 53 cm (w) X 79 cm (H) and Seat size 54 cm (H) X 54 cm(W)x52 cm (D) Polyurethane Foam: The polyurethane foam is moulded in Seat 80mm thick High density of 45±2 Kg/cub.M and in back 70mm thick high density of 33±2 Kg/cub.M . The polyurethane foam shall be as per manufacturer's specification. Armrest:- Armrest Fixed and made from black integral skin polyurethane.. Revolving & tilt:- High back synchro chair and Gas lift mechanism Chair should have a full 360^0 revolving mechanism and tilt tension adjumest facitily. The tilting mechanism should be synchro-tilt mechanism as per international ergonomics standards any position locking. Pedestal:-The Pedestal base is made of stainless steel with Nylone twin caster wheels 5 Nos. of 50MM size.	
3	Stainless Steel Three Seater Visitor Bench (Court Room)	Fabrication and supply of Stainless Steel 202 Grade mat finish Three Seater Visitor Bench with Back Rest and arms and legs with fully support. Stainless Steel Sheet/Plate shall be of 16 gauges, round pipe shall be of 50/40mm dia and 2 mm thickness, square pipe shall be of size 50mm x 50mm and 2mm thickness. All facbrication work shall be done with Argon Welding. All	

		the joints shall be finished and polishing to match with parent material. Legs fittd with plastic bush. Between two legs have S.S. Foot rest as above round pipe. Dimension:- Bech Detail:- Length: 1530mm, Width: 460mm, Height: 450mm Back Detail:- Length: 1530mm, Width: 460mm, Height: 450mm	
4	Tabular Steel Chrom Finish Visitor Chair With Continus Arms (Chamber)	Size of Backrest H. 46 x W. 50 CM and Seat W. 51 x D. 45 x H 47 CM The Seat and Back of the chairs should be pressed on 15mm plywood upholstered with rich leatherette fabric and moulded Polyurethane Foam. The seat cushion of the chair should be made up of 80mm thick High Density of 45±2 Kg/cub.M. Polyurethane mould and back cushion should be made up of 70 mm thick High Density 32±2 Kg/cub.M. Fitted with 4 polypropylene glides. Arms Fixed and Continous made from black iintegral skin polyurethane.	
5	Tabular Staff steel Chrom Finish Chair With continous Arms . (Office Staff & Court Room)	Chair Dimension:- BacK 18" x 21" and Seat 18" x 18"with full back chair The Seat and Back of the chairs should be pressed on plywood upholstered with rich leatherette and moulded Polyurethane Foam. The polyurethane foam is moulded with 80MM density = 45 ±2 Kg/m^3 . The Continous armrest should be gas-assisted injection molded from black polypropylene. Plastic bush shall be proper fitted at the bottom of the chair.	
6	5 seater Sofa Set (Chamber).	5 Seater Sofa set 3+1+1. Three seated sofa shall have overall size of 1800 W x 600 D x 860 H mm, Seath Height 400MM One Seated Sofa shall have overall size of 700 Wx 600 D x 860 H mm, Seath Height 400 mm Full Arms size 3½ x 1½" and Legs Size 2½ x 2½" The Seat should be made of 18mm MR Grade plywood and Back should be made of 12 mm plywood and fram, legs, handel should be of Complete sagwan wood with melamine polish. Seat cushion should be made up of 4" thick High Density of 40 ±2 Kg/cub.M and back cushion should be made up of 3" thick High Density 32±2 Kg/cub.M· and superior quality approved fabric cloth @ 350/- to 450/- Per Mtr. All material should be used of relevant ISI specification.	
7	Centre Table (Chamber)	Size:- 48"x24"x18" and Legs 2 x 2" . Complete sagwan wood melamine polish and and fixing inside 12 mm thick designer glass open from all sides and one shelf to be fitted for keeping news paper and magazine.	
8	Computer Table (Office Staff)	Size:- 4'x 2½'x 2½ ' Ft. Table with work top shall be made of 25 MM **Grade Plywood**.. Keyboard and Mouse pull out tray and one side fixed filing storage unit with one drawer with locking arragement and all Handel shall be made of Stainless Steel.Tray and drawer shall run on telescopic channel. It should have to seprate shelf to keep CPU and UPS. All side panels is provided with a cut out for laying cables for wire Management System. All sides Panel should be covered with 18MM Pre Lamiated Particle Board. All	

		the edges are sealed with equivalent matching 2mm thick PVC (Machine Edge Beading) bending. The base of table legs fitted with plastic bush.	
9	Office Steel Almarah	Size of 78" x 36" x 19" (H x W X D) and Pedestal Height 5" 1-With four shelves making five compartments shall be welded construction with 0.8 mm thick Mild Steel Sheet for front,back, sides,door and shelf. The Shelves have lipped flanges 2.5mm in width and 1.5mm in depth on front side each shelf shall be fixed to the sides and back either by tack welding or by rivets. 2-The locking and handle of the storage shall be mazak handle with three way locking mechanism. 3-All dents, burrs and sharp edges shall be removed from the various components.Putty shall be applied to all the surface required filling. Finish with spray paint.	
10	Steel Racks	Steel Shelving Racks adjustable open type Size of 78" x 36" x 15" (H x W X D) with six adjustable shelves. Approximate Weight 60 KG. The angle posts shall be rolled angles of size 40x40x3mm. These shall have 8mm diameter holes provided at 50mm centres. The holes shall starts at 12.5mm centres from each end.The metal shelves shall made from mild steel sheet of not less than 1 mm thickness The rack shall be neatly and duly finished with spray Paint and all dents burrs and sharps edges removed.	
11	Desert Cooler	1-Made of Galvanised Iron Sheet, Size of Cooler LxBXH= 30" x 20" x 50" 2-Top Cover & Pillar of 20 gauge, side panles of 22 gauge, tank Height 10" made of 20 gauge, Front Grill and directional grills of GI Sheet. Storage Capicity 80 liters. 3-Fan Motor:- 508 mm exhaust fan heavy duty duly copper wound, Speed:1400RPM. Three speeds (HighlMedium/low) with 18" Fan Blade fitted to body. Fan should be Crompton/Bajaj/ Khaitan/Cool Home. 4-Pump Motor:-Vertical pump Magnet Driven Pump (Sub-mersible type) 18 W, 1.6 Mtr lift, ISI mark or any Branded Manufacturer 5-Cord:- 3 core flexible cord PVC sheeted and insulated, 05 Mtr.long. 6-Brass/SS Drain Plug should be fitted on the Cooler body. 7-Wood woll/Cooler Grass Pad of proper thickness will be provided in each panel. 7. Complete Finish with Spray Paint.	
12	Office Table	Size 4' x 2½' x 2½' Ft. Table shall be made of **metal frame** with work top of **25 MM MR Grade Plywood**. The steel frame shall be manufactured from **minimum 40 mm x 40 mm MS square section**, properly welded and finished with **anti-rust treatment and powder coated paint finish**. The table shall be provided with **one side fixed storage unit having three drawers**, provided with **central locking arrangement**. All handles shall be made of **Stainless Steel**. All drawers shall run on **heavy duty telescopic channels**. Proper **cut-outs shall be provided for cable**	

		routing to facilitate **wire management system**. All exposed edges of plywood shall be sealed with **matching 2 mm thick PVC machine edge banding.** The table top surface shall be smooth, scratch resistant and easy to clean.	
13	STEEL BOOK RACKS	Steel Shelving Racks adjustable open type Size of 48'' x 36'' x 15'' (H x W X D) with 4 adjustable shelves. Approximate Weight 40 KG.	
14	1.5 Ton 5 Star Split Air conditioner with Stabilizer as per Detail Technical Specification	**LG/HITACHI/Blue Star/Daikin/Voltas** **A.C.** **1-**Providing and fixing of wall mounted 5 Star Rating of BEE 1.5 Ton Split Dual Invertor with convertible technology cooling & HD filter & Auto Air Swing(Up-Down) Air Conditioner with Out door Unit and Indoor Unit, surface / concealed coper Refrigerant piping with insulation (EP Foam pipe section) up to 3 Mtr. (IDU to ODU) copper power cable up to 3 Mtr., HDPE PVC drain pipe (dia 15mm), Dual Rotary Compressor and Refrigerant-32 All other required associated accessories with iron stand. With minimum Comprehensive warranty one year and Compressor Warranty Ten Year and PCB Warranty Five Year **Stabilizer** **2-**Providing and fixing Standard Gr. Ist make wall mounted Stabilizer (240V,50 HZ,2KW) with three year warranty, 16 Amp 3 pin top and all accessories and work.	

1- फर्नीचर कार्य में प्रयुक्त होने वाला एम.डी.एफ. बोर्ड/माईका शेड तथा फेब्रिक का कार्यालय से अनुमोदन करने के पश्चात् ही उपयोग में लिया जायेगा।

2- उपरोक्त समस्त आईटम पर सप्लाई करने कि दिनांक से 1 वर्ष का ऑन साईट गारंटी पिरियड रहेगा।

3- **तकनीकी बोली में सफल रहे बोलीदाता को उपापन समिति द्वारा संबधित वस्तु के सैम्पल प्रस्तुत करने हेतु ई–मेल/फोन द्वारा निर्देशित करने पर तीन दिवस में सैम्पल,बोलीदाता को स्वयं के व्यय एवं रिस्क पर प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत सैम्पल का तकनीकी समिति द्वारा सैम्पल का तकनीकी एवं गुणवत्ता पैरामीटर के आधार पर भौतिक निरीक्षण करेगी।** अगर कोई सैम्पल पैरामीटर को पूर्ण नहीं करता है तो उसे तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया जायेगा। यदि कोई बोलीदाता वांछित अनुसार सैम्पल प्रस्तुत नही करता है तो उसे भी तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

4- सामाग्री के विशिष्टियों में 5mm +/- विचलन स्वीकार किया जायेगा।

5- बोलीदाता को सभी अविभाज्य (individual) तकनीकी स्पेसिफिकेशन को शामिल करते हुए पूर्ण तकनीकी स्पेसिफिकेशन सारणीबद्ध रूप में Yes/No and Positive or Negative Deviation का उल्लेख करे पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत करना है। अपूर्ण तकनीकी बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।

6- **बोलीदाता द्वारा जिस सामग्री की आपूर्ति करने हेतु निविदा प्रस्तुत करता है उस सामग्री के Broucher/ catalogue तकनीकी बोली के साथ संलग्न करने होंगे।**

7- क्रेता अधिकारी बोली के अनुमोदन से पूर्व बोलीदाता के परिसर पर सामान का निरिक्षण किया जायेगा तथा उपरोक्त स्पेसिफिकेशन के सामान या उच्च गुणवत्ता का माल होने पर बोली का अनुमोदन किया जा सकेगा।

Signature of the Bidder with Seal
Dated :-

Chairman Purchase Committee
District & Session Court,Didwana

Annexure – "A"

Compliance with the code of Integrity and No conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not srepresent or o t that sleads or attempts to slead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not suse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or har ng or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) Disclose conflict of interest, if any; and

(h) Disclose any previous transgression with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest –

The Bidder participating in a bidding process must not have a conflict of Interest. A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not li ted to:

a. Have controlling partners/shareholders in common; or

b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. Have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process.

e. The Bidder participates in more than one Bid in bidding process. Participation by a Bidder in more then one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not li t the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid, or

f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design of technical specification of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is propose to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Date: Signature of bidder

Place: Name:

ANNEXURE –B

Declaration by Bidders regarding Qualification

In relation to my/our Bid submitte: l to (ADJ DEEDWANA-KUCHAMAN) for procurement ofresponse to their Notice Inviting Bids No.....Dated..... I/We here by declare under section 7 of Rajasthan Tranparency in public procurement Act, 2012, that :-

1. **I/We posses the necessary professional,technical ,financial and managerial resouces and competence required by the Bidding Document issued by the procuring entity.**
2. **I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the state Government or any local authority as specified in the Bidding Document;**
3. **I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business actviities suspended and not the subject or legal proceeding for any of the foregoing reasons;**
4. **I/We do not have and our directors and officers not have been convicted of nay criminal offence related to my / our professional conduct of the making of false statements or misrepresentations as to my / our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurenment process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;**
5. **I/We do not have a confilict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document which materially affects fair competition ;**

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

Annexure – "C"

Affidavit regarding compliance to Terms & Condition of Tender

BIDDER NAME

I/We confirm that I/We are authorized to submit tender on behalf of the firm participating in the tender and have perused the entire Bid/tender document including all its amendment till date.

Having perused the subject tender with, with all amendments (wherever applicable). I/We hereby confirm unconditional acceptance and compliance to abide by all its terms & conditions as mentioned in Bid/Tender document including technical particulars, Detailed technical specification of the product, Special Terms & Conditions and General Terms & Conditions wherever indicated, offer validity, Terms of delivery without and deviations whatsoever:

I/We also confirm acceptance of the all General Terms & Conditions of tender document.

I/We certify that the prices quoted against the tender are competitive and without adopting any unfair/unethical means in including cartelization.

I/We certified that tendering firm has not been banned by any Government Department of the State/PSU from business dealings.

I/We also certified that the information given above is factually correct, true and nothing material hub concealed.

Date: Signature of bidder

Place: Name:

Annexure – "D"

STATEMENT OF PAST EXPERIENCE AND PERFORMANCE

We..... (Name of firm) do hereby undertake that we have perpormed work as per details given below:-

Calendar Year	Full address of Bidder with telephone	Order No & Date	Period of Completion of delivery		Certificate of Experience attached	Has the work catered satisfactory ?
			From	To		
1	2	3	4	5	6	7

Note:-

1- It shoud be sumbitted with technical Bid.
2- The relvant doucment is enclosed to verify the information and the document attached by me/us are correct and reliabe to the best of my knowage and in case of document and information found wroung our tender bid/contract shall be liable to be cancelled.

Date:-
Place:-

Signature of bidder with Seal
Name-
Address-

FINANCIAL ENVELOPE

OFFICE OF THE DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY,, DIDWANA

Financial Bid for Supply and Installation of Furniture at Newly Created Courts

S. No.	Name of article	Estimated Amount	Rate Price Per Unit in Indian Rs. (Including All Taxes and Freight etc)	
			Price per unit in Figure	Prices In Words
1	2	3	4	5
1	Officer Table with side Table and Table Top Glass (Chamber)	3.24 Lac for item 1 to 13		
2	Executive High Back Officer Chair.(Chamber)			
3	Stainless Steel Three Seater Visitor Bench			
4	Tabular Steel Chrom Finish Visitor Chair With Continus Arms(Chamber)			
5	Tabular Staff steel Chrom Finish Chair With continous Arms . (Office Staff & Court Room)			
6	5 seater Sofa Set (Chamber)			
7	Centre Table (Chamber)			
8	Computer Table (Office Staff)			
9	Office Steel Almarah			
10	Steel Racks			
11	Desert Cooler			
12	Office Table			
13	STEEL BOOK RACKS			
14	A.C	50000		

Signature of the Bidder with Seal

a. **I/We have gone through the technical specification and available sample in office for the above items, terms & conditions as stipulated in the bid enquiry document and confirm to accept and abide the same.**
b. No other charges would be payble by the Department.
c. The delivery of the items will have to be made at court campus which mentioned in tender document, No transportation/ carriage charges will be provided for the same.
d. The rate quoted should be firm and final and written in ink or typed against each item and should in no case be overwritten. Any overwriting/modification of any type will lead to rejection of the bid.
e. Rates are to be quoted item-wise otherwise bid will be treated as unresponsive.
f. Our Status in respect of GST is : GST Registered Bidder/GST Unregistered Bidder/Bidder has Opted for composition Scheme (Strike off whichever is not applicable)

Signature of Bidder with Seal